राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 50/2024 निगरानी

1. श्री छोटुनाथ पिता श्री धीसानाथ जी जाति योगी आयु वयस्क निवासी जुना गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (राज०) राज०)
2. बाबुनाथ पिता श्री धीसानाथ जी जाति योगी आयु वयस्क निवासी जुना गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (राज०)

–निगराकार

बनाम

1. श्री कान्तादेवी बुरड पत्नि शान्तीलाल जी बुरडा जाति महाजन आयु 55 वर्ष निवासी विजय नगर जिला अजमेर (राज)
2. श्री महादेव पिता मोहनलाल जी तेली आयु 56 वर्ष निवासी हुरडा जिलाभीलवाडा (राज)
3. ग्राम पंचायत हुरडा जरिए सचिव ग्राम पंचायत हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (राज)

–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पत्रावली संख्या 24/83–84 दिनांक 12/12/1983 को दर्ज कर 16/3/84 को पंचायत हुरडा द्वारा जारी पट्टा को निरस्त कराया जाने बाबत्

उपस्थित – 1. श्री मांगीलाल सेन, अधिवक्ता–निगराकार
2. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता–गैर निगराकार संख्या 2
3. श्री रामदयाल जाट, अधिवक्ता–गैर निगराकार संख्या 3

निर्णय

दिनांक 10/02/2026

निगराकार अपनी निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 के तहत निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सादर निवेदन करता है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत हुरडा तहसील हुरडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 एक श्रीमति कान्तादेवी पत्नि श्री शान्तीलाल बुरड (जैन) निवासी विजयनगर ग्राम पंचायत हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र में स्थित आराजी नम्बर 32 में भूखण्ड संख्या 10 दस साईज 45 बाई 40 कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफिट का पत्रावली संख्या 24/83–84 दिनांक 12/12/1983 को पट्टा जारी किया गया जबकि आराजी नम्बर 32 पर निगराकार के पिता

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

धीसानाथ जी का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा कास्त चला आ रहा है। व विवादित स्थल पर निगराकार का कब्जा कास्त चला आ रहा है। व विवादित स्थल पर भूखण्ड संख्या आराजी नम्बर 32 में ही स्थित है। जिसका पट्टा जारी किया जबकि मोके पर उक्त भूखण्ड पर निगराकार अपने पूर्वजो धीसानाथ जी के समय से ही काबीज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अतः उक्त पट्टा गलत व फर्जी तरिके से जारी हुआ है। जब ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ उसके पहले ही पट्टा जारी दिनांक 16/3/84 को कर दिया जबकि आराजी नम्बर 32 आबादी में ही नही थी आबादी का कब्जा सिपूर्द करने हेतु तहसीलदार हुरडा द्वारा दिनांक 15/11/99 को सरंपच ग्राम पंचायत हुरडा को पत्र लिख गया जिसमें यह उल्लेख किया कि पंचायत क्षेत्र की आबादी भूमि का कब्जा दिनांक 17/11/99 को सिपूर्द किया जायेगा अतः आप मय सचिव में कब्जा लेने हेतु उपस्थित रहे यह स्पष्ट है कि जब आराजी नम्बर 32 को आबादी में दर्ज करने में पश्चात कब्जा ही भूमि को ग्राम पंचायत 17/11/99 की प्राप्त किया तो वर्ष 1984 में पट्टा जारी कैसे हो सकता है। उक्त विवादित स्थल पर प्रार्थी निगराकार का करता चला आ रहा है। किन्तु उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर उक्त भूखण्ड का विकय पत्र विपक्षी संख्या 01 एक द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में हाल ही में दिनांक 17/5/24 को विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन कराया गया जिसके आधार पर विपक्षी संख्या 02 द्वारा कब्जा करने का प्रकरण दिनांक 3/7/2024 को धमकी दी जिसमें रेकॉर्ड से विक्रय पत्र व पट्टे की प्रतिया प्राप्त जिसमें सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ व उक्त विवादित पट्टा जारी करने में आदेश दिनांक 16/3/84 को व्यथित होकर यह निगरानी आवेदन पत्र विपक्षीगण के विरुद्ध निम्न आधारो पर निरस्त किया जाने हेतु यह आवेदन प्ररस्तुत है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा द्वारा विवादित स्थल का पट्टा जारी दिनांक 16/3/84 को पट्टा जारी किया गया जो कि विधि एवं तथ्यो के विपरित होने से अपास्त होने लायक है। निगराकार प्रार्थीगण ग्राम हुरडा के निवासी होकर आराजी नम्बर 32 के उपरोक्त विवादित स्थल भुखण्ड स्थल पर अपने पूर्वजो धीसानाथ जी के पिता के समय से ही काबीज होकर मौके पर बाडे बने हुऐ है जिसमें प्रार्थीगण निगराकार अपने मवेशीयो को बोधते व कृषि उपकरण धास इत्यादी के उपयोग में 70 वर्षों से लेते आ रहे है उक्त भूमि आबादी में दर्ज होने से पहले से ही प्रार्थीगण निगराकार के पूर्वजों का कब्जा था वर्तमान में प्रार्थीगण निगराकार का है जिसमें प्रार्थीगण उक्त विवादित स्थल में हक व अधिकार निहित होने से उक्त भूमि का तथाकथित पट्टा दिनांक 16/3/84 को जारी किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण निगराकार प्रभावित है अतः पट्टा का निरस्त कराया जाने हेतु प्रार्थीगण निगराकार की ओर से यह निगरानी आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्ररस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण निगराकार एवं उनके भाईयो की शामलाती कृषि भूमि ग्राम हुरडा मंगरा पटवार हल्का हुरडा मंगरा में शामलाती खातेदारी की कृषि आराजी नम्बर 33,34,36 कुल कीता 03 तीन कुल रकबा 1.9748 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे पास ही आराजी नम्बर 32 स्थित है जिसे आबादी में लिया गया है उससे पहले ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण निगराकार के पिता धीसानाथ जी का कब्जा था जो नियमित रूप से चला आ रहा है यह भूमि ग्राम पंचायत को भूमिधारी तहसीलदार हुरडा द्वारा दिनांक

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

18/11/1999 कब्जा दिया था जिसके लिए दिनांक 17/11/1999 को तहसील हुरडा ने ग्राम पंचायत को निर्देश भी जारी किया था भूखण्ड विकय से पूर्व न तो प्लान बनाया गया न ही नक्शा बनाया गया पट्टा बही में प्रशनगत पट्टा का कोई इन्द्राज ही नही है न ही निलामी की कार्यवाही की गई न ही किसी प्रकार की स्वीकृति ही प्राप्त की तथा ग्राम पंचायत ने दिनांक 17/10/1988 को पट्टे जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त कर लिया था तो वर्ष 1984 में पट्टे जारी कैसे हो सकते है जिससे स्वंम सरपंच के हस्ताक्षर है यह भी अंकित किया कि तहसीलदार हुरडा ने दिनांक 29/7/1999 को ग्राम पंचायत को पत्र लिखा कि इस भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया है अतः प्रभावी कार्यवाही करावे तो सन् 1984 मे पट्टे कैसे जारी हो सकते है इस प्रकार ग्राम पंचायत को वर्ष 1984 में उक्त भूमि का कब्जा ही प्राप्त नहीं था व आबादी में भूमि थी ही नहीं तो पट्टे जारी किस प्रकार किये गये अतः उक्त भूमि को जारी किये गये पट्टे गलत व फर्जी तरिके से ग्राम पंचायत ने पत्रावली कायम किये बिना ही व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लिये बिना ही दोषपुर्ण कार्यवाही विधी विरूद्ध एवं पंचायत राज अधिनियम के नियमो के विपरित पारित पट्टा जारी किया गया जो निरस्त होने लायक है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत हुरडा द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पट्टा दिनाक 16/3/1984 को जारी किया जो कि अवैध तौर पर बिना किसी कार्यवाही के व बिना राशी जमा हुऐ नुकाइशी तौर जारी किया गया है व पंचायत नियमों के विपरित जारी किया गया है जो निरस्त होने लायक है। तथाकथित पट्टा गलत तौर पर आबादी भूमि व कब्जा प्राप्त होने की तारीख से पूर्व का पट्टा फर्जी कार्यवाही कर प्राप्त किया जो निरस्त होने लायक है।विपक्षी संख्या 03 ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिनांक 17/10/1988 को पट्टे जारी करने का निर्णय लियाजो वर्ष 1984 में पट्टे कैसे जारी हो सकते है ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16/3/1984 को जारी पट्टा निरस्त होने लायक है। विवादित स्थल ग्राम हुरडा की आबादी भूमि आराजी नम्बर 32 में विधमान है इसके पास ही प्रार्थीगण की भूमि अवस्थित है इसलिए प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर वर्षों से कब्जा कास्त चला आ रहा था यानि कब्जा प्रार्थीगण का चला आ रहा था इसलिए उक्त विवादित स्थल का पट्टा भी अपने पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण निगराकार निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 03 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 16/3/19 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की दलीलों पर बहस सुनी गई।

गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार निगराकार ने हस्तगत निगरानी में मामले के संक्षिप्त तथ्य अपने तही सर्वथा मनगढ़न्त व असत्य दर्ज किये है, जो उत्तरदाता गैर निगराकार को स्वीकार नहीं। निगराकार का निगरानी में मुख्य उजर यही रहा है कि हस्तगत पट्टशुवा भुखण्ड संख्या 10 नपती 45 फिट बाई 40 फिट का आराजी संख्या 32 वाके ग्राम हुरडा में स्थित है और वक्त जारी होने पट्टा उक्त आराजी संख्या 32 ग्राम पंचायत हुरड़ा के नाम दर्ज रेकॉर्ड ही नहीं हुई थी, जिससे पट्टा अवैध है,

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार ने उपरोक्त कथन वास्तविकता से परे निराधार व मिथ्या दर्ज किये हुये है, जो उत्तरदाता गैर निगराकार को स्वीकार नहीं। अलबता आराजी संख्या 32 हस्तगत पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ही ग्राम पंचायत हुरड़ा के नाम दर्ज रेकॉर्ड हो गई थी और गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में हस्तगत पट्टा नियमानुसार सही जारी किया हुआ है, जिसे निरस्त कराने का निगराकार को कानुनन कोई हक व अधिकार नहीं है। निगराकार ने हस्तगत निगरानी मात्र उत्तरदाता गैर निगराकार को हैरान–परेशान कर नाजायज रकम ऐंठने के दुराशय से निरामिव्या व मनगन्त आधारों पर प्रस्तुत की है, जो कानुनन कोई किसी प्रकार से पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। अन्दर हल्के आबादी हुरड़ा में ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टटा नियमानुसार विधी अनुरूप जारी किया गया है, जिसे निरस्त कराने का निगराकार को कानुनन कोई हक व अधिकार नहीं है। ऐसी हालत में भी निगरानी निगराकार कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। निगरानी निगराकार जिस कदर लिखी स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है। निगराकार द्वारा इस कलम में समस्त कथन अपने तही मनमकसूद तरीके से निराधार व मनगढ़न्त दर्ज किये है, जो उत्तरदाता गैर निगराकार को स्वीकार नहीं । निगराकार अथवा निगराकार के मौरूस घीसानाथ का हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड पर कोई किसी प्रकार से कब्जा व दखल नहीं है तथा न कभी रहा ही है। ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा हस्तगत पट्टा नियमानुसार गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 16/03/1984 को जारी किया गया, तब से गैर–निगराकार संख्या 01 हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड पर काबिज हो उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड के संबंध में दिनांक 19/10/2006 को गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में विक्रयपत्र निष्पादित करा दिनांक 20/10/2006 को उपपंजीयक कार्यालय, हुरड़ा में पंजीबद्ध करवाया हुआ है। तदुपरान्त उक्त पट्टेथुदा भुखण्ड को गैर–निगराकार संख्या 01 ने गैर–निगराकार संख्या 02 को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 17/05/2024 से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। तब से गैर–निगराकार संख्या 02 हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड़ पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चली आ रही है। अलबता ग्राम पंचायत हुरडा द्वारा पट्टा विलेख गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में विधिवत् तरीके से पंचायत राज नियमों की पूर्ण पालना करते हुये ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में जारी किया गया है, जो सही जारी किया गया है और कोई किसी प्रकार से अनियमितता व अवैधानिकता नहीं बरती गई है। ऐसी हालत में निगराकार द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी कानुनन कोई किसी प्रकार से पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। निगराकार ने इस कलम में हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड की आराजी संख्या 32 पर अपने गौरूस/पिताश्री धीसानाथ का कब्जा होने तथा उक्त आराजी को आबादी में लेने से पूर्व ही हस्तगत पट्टा जारी कर देने संबंधी कथन निरामिव्या व मनगढन्त दर्ज किये है, जो उत्तरदाता गैर–निगराकारान् को स्वीकार नहीं। गरज कि निगराकार ने इस कलम में समस्त कथन वास्तविकता से परे निरामिव्या दर्ज किये है, जिनमें किंचित मात्र भी सत्यता नहीं है। अलबत्ता उक्त आराजी संख्या 32 दिनांक 26/08/1981 को बिलानाम गैर काबिल काश्त से आबादी ग्राम पंचायत हुरड़ा में दर्ज रेकॉर्ड कर दी गई। तदपुरान्त ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा गैर–निगराकार संख्या 01 को

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नियमानुसार कार्यवाही करते हुये हस्तगत पट्टा जारी किया है, जिसमें कोई किसी प्रकार से अवैधानिकता अनियमितता नहीं की है। निगराकार ने हस्तगत निगरानी मात्र उत्तरदाता गैर निगराकारान् को हैरान–परेशान कर नाजायज रकम ऐंठने के दुराशय से निरामिथ्या व मनगढन्त आधारों पर प्रस्तुत की है, जो कानुनन किसी कदर पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। निगराकार ने पुनः इन कलमों में समस्त कथन निराधार व निरामिथ्या वास्तविकता से परे मनगन्त दर्ज किये है, जो उत्तरदाता गैर–निगराकारान् को स्वीकार नहीं। अलबत्ता ग्राम पंचायत हुरडा द्वारा हस्तगत पट्टा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये सही जारी किया गया है, जिसे कोई किसी प्रकार से निगराकार निरस्त कराने का कानुनन अधिकारी नहीं है। ऐसी हालत में भी निगरानी निगराकार कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। निगरानी निगराकार जिस कदर लिखी स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है। निगराकार ने इस कलम में स्वंय के खातेदारी अधिकार की आराजियों के पास आराजी संख्या 32 स्थित होने से स्वंय का कब्जा होने और कब्जे के आधार पर हस्तगत पट्टेथुदा भुखण्ड़ का पट्टा स्वंय के पक्ष में जारी किये जाने संबंधी कथन दर्ज किये है, जो निरामिथ्या व मनगढ़न्त होने से उत्तरदाता गैर निगराकारान् को स्वीकार नहीं। इसी दुराशय से निगराकार ने हस्तगत निगरानी बेबुनियाद व मिथ्या आधारों पर पेश की है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। अंत में निगराकार की प्रार्थना है, जो किसी कदर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। निगराकार ने हस्तगत निगरानी मात्र मात्र उत्तरदाता गैर निगराकारान् को हैरान–परेशान कर नाजायज रकम ऐंठने के दुराशय से निरामिथ्या व मनगढ़न्त आधारों पर प्रस्तुत की है, जो कानुनन किसी कदर पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार कानुनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाई जावे । मामले में वास्तविकता इस प्रकार है कि आराजी संख्या 3.2 ग्राम पंचायत हुरड़ा के नाम बमद आबादी दर्ज होने उपरान्त ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा नियमानुसार विधिवत् तरीके से पंचायत राज नियमों की पुर्ण पालना करते हुये गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में हस्तगत पट्टा जारी किया है। जिसमें कोई किसी प्रकार से अनियमितता व अवैधानिकता नहीं बरती गई है। इसके अलावा हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड व आराजी संख्या 32 पर कोई किसी प्रकार से न तो निगराकार के मौरूस घीसानाथ का कब्जा था और न निगराकार का कब्जा है और न कभी रहा ही है। बल्कि आराजी संख्या 32 ग्राम पंचायत हुरडा की आबादी भुमि है। जिसमें पट्टा विलेख देने का ग्राम पंचायत हुरड़ा को कानुनन पूर्ण हक–अधिकार है । निगराकार ने हस्तगत निगरानी मात्र उत्तरदाता गैर निगराकारान् को हैरान–परेशान कर नाजायज रकम ऐंठने के दुराशय से निरामिथ्या व मनगढ़न्त आधारों पर प्रस्तुत की है, जो कानुनन किसी कदर पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड के संबंध में दिनांक 19/10/2006 को गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में विक्रयपत्र निष्पादित करा दिनांक 20/10/2006 को उपपंजीयक कार्यालय, हुरड़ा में पंजीबद्ध करवाया हुआ है। तदुपरान्त उक्त पट्टेशुदा भुखण्ड़ को गैर–निगराकार संख्या 01 ने गैर–निगराकार संख्या 02 को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 17/05/2024 से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। तब से उत्तरदाता गैर–निगराकार संख्या 02 हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

चला आ रहा है। गरज कि निगराकार का कोई किसी प्रकार से हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड पर कोई किसी प्रकार से कब्जा व दखल नहीं है और न कभी रहा ही है। ऐसी हालत में भी निगरानी निगराकार कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।निगराकार को ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांकित 16/03/1984 की प्रारम्भ से ही जानकारी थी व है क्योंकि गैर निगराकार संख्या 01 हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड पर विगत कई वर्षों से काबिज हो उपयोग उपभोग करती चली आ रही है और उक्त पट्टशुदा भुखण्ड़ पर बाद खरीद दिनांक 17/05/2024 से उत्तरदाता गैर निगराकार संख्या 02 काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। फिर भी निगराकार ने हस्तगत निगरानी करीब 40 वर्षों उपरान्त प्रस्तुत की है, जो जाहिरा बेरून मियाद होने से कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा विवादित जायदाद के संबंध में एक सिविल वाद न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में प्रस्तुत कर रखा है तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 01/06/2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जो आज तक प्रभावी होकर जैर कार्यवाही है। जिसकी जानकारी निगराकार को प्रारम्भ से ही है। फिर भी निगराकार ने हस्तगत निगरानी वास्तविकता को छिपाते हुये मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत की है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार कानुनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश बक्षाया जावे।

लिखित बहस जरिए निगराकार अनुसार अधिनस्थ ग्राम पंचायत हुरडा द्वारा अप्रार्थी विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर ग्राम हुरडा ग्राम पंचायत हुरडा के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र में स्थित आराजी नम्बर 32 मे भूखण्ड संख्या 10 साईज 45 बाई 40 फीट यानि 1800 वर्गफीट भूमि का पत्रावली संख्या 24 वर्ष 83–84 कायम करना बताकर दिनांक 10/12/1983 को पट्टा जारी किया गया जबकि इस भूखण्ड पर प्रार्थी निगराकार के पिता घीसा नाथ जी का कब्जा चला आ रहा था क्योंकि उक्त भूमि आबादी में दर्ज होने से पूर्व ही कब्जा निगराकार के पित घीसा नाथ जी का कब्जा आराजी नम्बर 32 में चला आ रहा था उक्त तथाकथित भूखण्ड संख्या 10 जो कि आराजी नम्बर 32 मे अवस्थिति है जिस पर कब्जा प्रार्थी निगराकार का होकर मौके पर आवासीय मकान निर्मित होकर परिवार सहित निवास कर रहा है विवादित भूखण्ड संख्या 10 के पडौस पूर्व में शान्तिलाल जी बुरडा का प्लॉट पश्चिम में 20 फीट की चौडाई का रोड, उतर में माननाथ जी जोगी की भूमि, दक्षिण में हुरडा गुलाबपुरा रोड स्थित है। उपरोक्त भूखण्ड संख्या 10 पर प्रार्थी निगराकार अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा कास्त चला आ रहा है इसके बावजुद संख्या 03 तीन द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पट्टा दिनांक 10/12/1983 को पत्रावली निर्मित की जाकर दिनांक 16/3/1984 की अवैधानिक रूप से पट्टा जारी किया गया क्योंकि प्रार्थीगण निगराकार एंव उनके भाईयो की शामलाती कृषि भूमि ग्राम हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 33,34,36 कुल किता 03 तीन कुल रकबा 1.9748 हैक्टयर भूमि खातेदारी की स्थित है जिसके पास ही आराजी नम्बर 32 में स्थित है जिसे आबादी मे लिया गया उसके पहले ही घीसा नाथ का कब्जा चला आ रहा था आराजी

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

नम्बर 32 को आबादी मे लिया जाकर मौके पर तहसीलदार हुरडा द्वारा दिनांक 18/11/1999 को मौके पर आबादी भूमि का कब्जा संभलाया गया तो उक्त भूमि का पट्टा 16/3/1984 को कैसे जारी किया जा सकता है तथा उक्त तथाकथित पट्टा संख्या 10 के बाबत् कोई पत्रावली कायम नही हुई व ग्राम पंचायत मे पट्टा का कोई रेकॉर्ड ही नही है ऐसी स्थिति में भूखण्ड संख्या 10 पट्टा दिनांक 16/3/1984 को जारी किया गया जिसे निरस्त किया जाने हेतु निवेदन निगरानी की आवेदन प्रस्तुत होने पर विपक्षीगण को तलब किया गया विपक्षी संख्या 01 एक व 02 दो कान्तादेवी महादेव की और से जवाब प्रस्तुत हुआ व विपक्षी संख्या 03 तीन ग्राम पंचायत ने कोई जवाब प्रस्तुत नही किया विपक्षी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में निगरानी में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर तथाकथित पट्टा संख्या 10 को विधिवत जारी होना बताया गया व उक्त आराजी नम्बर 32 को दिनांक 26/8/1981 को बिलानाम से आबादी मे दर्ज होना बताया इसलिए पट्टा विधिवत जारी हुआ है निगरानी को खारीज करने की प्रार्थना की गई । विवादित भूमि आराजी नम्बर 32 बीलानाम सरकार थी जिसे आबादी में दिनांक 26/8/1981 को नामान्तकरण के रूप में दर्ज किया व आबादी में दर्ज करने का आदेश दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण था क्योंकि उक्त भूमि पर प्रार्थी निगराकार का अपने पूर्वज घीसानाथ की जा कब्जा था मौके पर आवासीय मकान बने हुऐ थे इसके बावजुद बिना मौके की जांच व तहकीकात किये ही आबादी में दर्ज की गई उक्त भूमि बीलानाम से आबादी में दर्ज का नामान्तकरण 26/8/1981 को खौला जाकर आबादी दर्ज की गई उसके पश्चात् उक्त भूमि को तहसीलदार हुरडा द्वारा दिनांक 18/11/1999 को कब्जा सिपुर्द किया गया था वर्ष 1984 के बिना कब्जा के पट्टे कैसे जारी हो सकते है कुल्या पट्टे जारी करने की कार्यवाही अवैध होकर दुषित कार्यवाही है अतः तथाकथित पट्टा निरस्त होने लायक है। विपक्षी संख्या 03 तीन ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि मे पट्टे जारी करने का प्रस्ताव 17/10/1988 को लिया गया तो दिनांक 16/3/1984 को पट्टा जारी कैसे किया जा सकता है इस बाबत् पूर्व मे श्रीमान अपर जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाडा प्रकरण संख्या 3/2023 निगरानी राजेन्द्र बनाम जगदीशचन्द्र ने दिनांक 2/3/1984 को आराजी नम्बर 32 में भूखण्ड संख्या 02 पट्टा जारी किया गया जिसमे राजेन्द्र कुमार द्वारा पट्टा निरस्त किया जाने हेतु निगरानी में चुनौती दी गई जो कि निगरानी दिनांक 7/2/2003 को स्वीकार की जाकर पट्टा दिनांक 4/3/1984 को निरस्त किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। पूर्व में आराजी नम्बर 32 में से भूखण्ड संख्या 02 जो का पट्टा ग्राम पंचायत हुरडा दिनांक 2/3/1984 को जारी किया गया जिसे निगरानी प्रकरण संख्या 3/2023 निर्णय दिनांक 7/2/2003 के जरिए निरस्त किया गया जिसके निर्णय की फाईण्डींग में स्पष्ठ उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत की और से कोई रेकॉर्ड प्रस्तुत नही हुआ है तथा तथाकथित पट्टा नियमानुसार है अथवा नही इस बिन्दु पर विचार करना है इस बाबत् ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड नहीं होने से विधी सम्मत नही माना गया तथा यह भी उल्लेख किया गया तहसीलदार हुरडा को लिखा गया पत्र जिसमे यह उल्लेख किया गया ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का कब्जा 17/11/1999 को कब्जा सुपिर्द किया जायेगा मय सचिव उपस्थित होने तत्पश्चात् 18/11/1999 को कब्जा सिपुर्द किया गया जिसका मौके पर्चा भी संलग्न किया गया भमि

10.2.26
अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

मे ही विवादित भूखण्ड संख्या 10 शामिल है ऐसी स्थित में यह रष्ठ है कि जब भूमि का कब्जा ही ग्राम पंचायत को 18/11/1999 को प्राप्त हुआ है तो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा 16/12/1983 को कैसे जारी किया जा सकता है तथा ग्राम पंचायत का ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसमे यह स्वीकार किया गया कि कब्जा 10/12/1983 से पहले ही प्राप्त हो गया हो इसके अलावा भी भूमि ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज होने के पश्चतु ग्राम पंचायत के आबादी भूमि का प्लान तैयार कर पंचायत समिति से अनुमौदन करवा उसके पश्चात् पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे भी पर जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की आम सभा में पट्टे जारी करने व भूमि को विक्रय करने का प्रस्ताव लिया जाने के पश्चात् ही पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है है अतः तथाकथित पट्टा की दिनांक 10/2/1983 को जारी किय जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत बह समे साक्ष्य पूर्ण निर्णय प्रकरण संख्या 03/2003 राजेन्द्र बनाम जगदीशचन्द्र सौडानी की निर्णय दिनांक 7/2/2003 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है साथ ही मौके पर मकान बने होकर प्रार्थी निगराकार परिवार सहित निवासरत है जिनके फोटो ग्राफस प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि लिखित बहस रेकॉर्ड पर ली जाकर निर्णय फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया। ग्राम पंचायत पक्ष के अधिवक्ता श्री रामदयाल जाट ने अपनी बहस में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का तर्क किया। पट्टाधारी पक्ष के अधिवक्ता के अधिवक्ता ने बहस किया कि 1981 में दर्ज आबादी भूमि का विधिवत रूप से 1983 में पट्टा जारी किया गया है। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत निगरानी मियाद बाहर होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा सद्भावी रूप से पट्टा जारी किए जाने के कारण निगरानी अस्वीकार योग्य है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रश्नगत पट्टा पंचायत द्वारा सद्भावी रूप से जारी होने से व प्रश्नगत निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हुरड़ा जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.2.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा